न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 9/2022

उनवान

1. शंकरलाल
2. सपंतलाल,
3. छोटी,
4. संतोक,
5. सायरी पि0 सूंडा जाति रावत नि0 देराठू, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रभु पुत्र मंगला जाति रावत
2. रमेशचन्द पुत्र घासीराम,
3. गंगा पुत्री घासीराम
4. फूलचन्द पुत्र घासीराम
5. श्याना,
6. शारदा,
7. सेठा पुत्रियॉ घासीराम
8. सोहनी पत्नी घासीराम समस्त जाति रावत निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
9. ज्वाला पुत्र रतनलाल
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल समस्त जाति मोची निवासी मोची बाजार, नसीराबाद
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 9 व 10 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
1 से 8 अनुपस्थित
11. जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– आदेश – दिनांक – 7.12.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने उक्त प्रा[illegible] ग्राम व पटवार मण्डल देराठू के खसरा नम्बर 62 रकबा [illegible] की आराजी प्रार्थीगण [illegible]तेदारी की है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 62 पर आने–जाने हे[illegible] हाल खसरा नम्बर 19[illegible] सडक से होकर हाल खसरा नम्बर 19/7838 रकबा 0.034 व 19/7839 रकबा 0.034, 19 रकबा

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.01, 17 रकबा 0.19, 16 रकबा 0.09 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी में दर्ज है में से होकर आवागमन करते है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर में से होते हुये अपने खेतों में पश्चिम से पूर्व दिशा से प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.26 व 22 रकबा 0.21 की आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 19/7243 सडक से होकर हाल खसरा नम्बर 19/7838 रकबा 0.034 व 19/7839 रकबा 0.034, 19 रकबा 0.01, 17 रकबा 0.19, 16 रकबा 0.09 मे से प्रार्थीगण को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 9 से 10 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने कभी भी आराजी मुतनाजा से आवागमन नही किया है। जवाबकुकनन्दा के खेतों की मेड पर दीवार बनी हुयी है। आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो कि खसरा नम्बर 60 व 61 किस्म मोरी है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से कर रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का किमत बढाने के लिये नेशनल हाईवे से लगता हुआ मार्ग चाहा है। आवेदनकर्ता द्वारा श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 24/2021 बउनवान सपंतलाल बनाम बालू अन्तर्गत धारा 251ए पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 को खारिज किया जा चुका है। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप ये अंकित है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 60, 61, 64 का में से आवागमन करते है। प्रार्थीगण के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 से 10 द्वारा ही खण्डन किया गया है किन्तु उनका खण्डन न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 से 10 ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 16 व 17 अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 19/7838 व 19/7839 अप्रार्थी संख्या 9 व 10 के नाम दर्ज है। किन्तु खसरा नम्बर 19/7838 व 19/7839 पर रास्ते का निस्तारण होने के बाद ही खसरा नम्बर 17 व 16 पर रास्ते की आवश्यकता होगी। खसरा नम्बर 19/7838 व 19/7839 पर प्रार्थीगण का कोई रास्ता विधमान नही है। उक्त दोनो खसरा नम्बर का रकबा 340 वर्ग मीटर ही है। खसरा नम्बर 22 प्रार्थीगण की खातेदारी का ही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 20 व 21 की मेड पर से रास्ता लिया जाता है तो वह रास्ता लम्बा होगा। पूर्व प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है। जिसमें अंकित है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 60, 61, 64 में से आवागमन करते है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता के बारे में निर्धारण करना है जो कि सिद्व नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 62 व 22 प्रार्थीगण की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 16 अप्रार्थी संख्या 1 की, खसरा नमबर 17 अप्रार्थी संख्या

--3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2 से 8 की खसरा नम्बर 19/7838 रकबा 0.034 अप्रार्थी संख्या 9 तथा खसरा नम्बर 19/7839 रकबा 0.034 अप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी का है। प्राथीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 62 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 16, 17, 19/7838 व 19/7839 में से रास्ता चाहा है। न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/21 उनवान संपतलाल बनाम बालू में पूर्व में आदेश पारित किया है जिसके अनुसार **"प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 60, 61, 64 में से होकर आवागमन करते है उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0 मोरी है। खसरा नम्बर 62 के समीप ही प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 22 स्थित है। जो कि खसरा नम्बर 20 व 21 से लगता हुआ है। जबकि खसरा नम्बर 22 उनकी खातेदारी होने से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 20, 21 व 19 में से रास्ता लघुतम बनता है प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 20, 21, 19 में से रास्ते लिये आवेदन करना चाहिये था।"** इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा पुनः खसरा नम्बर 20, 21, 19 में से रास्ते के लिये आवेदन नही कर खसरा नम्बर 16, 17, 19/7838 व 19/7839 में से आवेदन किया है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 19/7838 में से पूर्ण रकबा 340 वर्ग मीटर व 19/7839 में से 140 वर्ग मीटर रास्ता प्रस्तावित किया है किन्तु प्रस्तावित रास्ता दिये जाने से खसरा नम्बर 19/7838 का पूर्ण रकबा ही मार्ग में चला जाता है। दोनो खसरा नम्बर छोटे–छोटे प्लाट है। इन खसरा नम्बर में से होकर रास्ता दीर्घतम है। उक्त भूमि से होकर कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा दीर्घतम रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 22 के पास अन्य खसरा नम्बरों में से लघुत्तम रास्ते हेतु पृथक से नवीन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र है। खसरा नम्बर 19/7838 व 19/7839 में से चालू रास्ता मौके पर मौजूद नही है। ना ही उक्त खसरा नम्बर से होकर लघुत्तम रास्ता दिया जा सकता है। पूर्व प्रकरण की मौका रिपोट्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर जाने के लिये खसरा नम्बर 60, 61, 64 में से मौके पर रास्ता उपलब्ध है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व नही होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता उपलब्ध कराने की है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण लघुतम रास्ते के बजाय दीर्घतम रास्त चाहते है जो न्यायोचित नही है तथा न्याय की मंशा के विपरित होने से धारा 251 (क) के प्रावधान के प्रतिकूल है। अतः प्रार्थीगण खसरा नम्बर 16, 17 19/7838 व 19/7839 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested